न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 321/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/476
दायर दिनांक :– 29.11.2024 निर्णय दिनांक :– 13.06.2025

1. जगदीश पुत्र पेम्पाराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर छोटा तहसील बज्जू जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

1. पेम्पाराम पुत्र बाबुराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर छोटा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
2. रतीराम पुत्र पेम्पाराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर छोटा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
3. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार, बाप

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 की पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1540/5 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, सरहद मौजा कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा। जमाबंदी संवत 2076–2079 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में टुगी पत्नि बाबुराम के नाम से राजस्व रेकर्ड थी। टुगी पत्नि बाबुराम के देहान्त के पश्चात् मुतवफी टेगी पत्नि बाबुराम का विरासत नामान्तरकरण संख्या 1196 मौजा कानासर अप्रार्थी संख्या 1 व उनके भाई के नाम से भरा जाकर स्वीकृत हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण से प्राप्त हुई है जो भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का हक व हिस्सा जन्म से निहित है। वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि का बैचान करने पर उतारू है जबकि उक्त

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

...होने से प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है और प्रार्थी का अपने पैतृक 1/3 हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 का कभी भी अकेले का कब्जा व काश्त नही रहा इसलिये प्रार्थी ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1540/5 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में अपने पैतृक 1/3 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है जिस पर प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर अपनी उत्तम रहवासी ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के लिए बाडे इत्यादि बना रखे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। इसलिये प्रार्थी ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1540/5 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में अपने पैतृक 1/3 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ राह है। अभी दिनांक 10.11.2024 को प्रार्थी अपने पैतृक हिस्से की भूमि में की काश्त को अवैर रहा था तब अप्रार्थी सं. 1 अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये उक्त भूमि बैचान सम्बन्धित बाते करने लगे तथा अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को धमकी दी की उक्त सम्पूर्ण भूमि मेरे अकेले के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और मैं इनको बैचान कर रहा हूँ इसलिये तुम उक्त भूमि को खाली करदो नहीं तो मैं जोर जबरदस्ती तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर दूंगा। उस दिन तो प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को समझा बुझा कर निकाल दिया लेकिन जाते हुए अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी को धमकी दी की मैं आईन्दा पुनः आकर तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर देगें। अप्रार्थी सं. 1 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थी सं. 1 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा और प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं की जा सकता है। प्रार्थी असमर्थ एवं निर्धन है जबकि अप्रार्थी सं. 1 साधन सम्पन एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका सामना प्रार्थी नहीं कर सकता है इसलिये अप्रार्थी सं. 1 को जरिये कूनन रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1540/5 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में अपने पैतृक 1/3 हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो अप्रार्थी सं. स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिस हेतु यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

13/6/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम कानासर के खाता संख्या 246 सम्वत् 2076–79 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर पैतृक हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त की तय किया जाना है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रसत भूमि का अभिलिखित काश्तकार होने के कारण उपयोग एवं उपयोग करने स्वतंत्र अधिकार है। अभिलिखित खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नहीं है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 के जारी की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 अपने प्राथमिक अधिकारों यथा उपयोग व उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित हो सकता है। अतः सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का सन्तुलन के दोनों बिन्दु प्रार्थी

13/6/25

सहा... कलेक्टर
बाप (फलादी)

पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने से [illegible] प्रस्तुत करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-आदेश-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

[illegible] 13/6/25

(सुखाराम पिण्डेल [illegible])
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप जिला फलोदी (राज.)